संविधान सभा में वाद - विवाद
(Debate in the constituent assembly)

संविधान सभा मे वाद - विवाद मे अभिप्राय संविधान का मसौदा तैयार करते समय हुई। बहसों एवं चर्चाओं से है। इस वाद - विवाद को 12 खण्डों मे प्रकाशित किया गया है। सर्वप्रथम 1950 मे प्रकाशित करने के लिए 1995 में लोकसभा सचिवालय ने इनका पुनः मुद्रण किया।

प्रस्तावना पर वाद - विवाद (Debate on the Preamble)

प्रस्तावना का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य - प्रस्ताव के आधार पर तैयार किया गया 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा मे प्रस्तावना को लेकर चर्चा आरम्भ हुई।

डॉ॰ अम्बेडकर ने इस सम्बन्ध मे अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारत का एक समाजवादी राष्ट्र इसलिए नही बन सकता है, क्योंकि किसी भी देश की सामाजिक व आर्थिक नीतियाँ समय व परिस्थितियां के अनुसार नागरिक द्वारा निर्धारित की जाती है।

अधिकारों के निर्धारण पर वाद - विवाद -

अधिकारों के निर्धारण से सम्बन्धित प्रमुख मुद्दा यह था कि नागरिक अधिकार किस प्रकार से निर्धारित किए जाएँ।